139

246

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

जिला रीवा म0प्र0 निगरानी 998-III-15

20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 40.

1– चन्द्रिका प्रसाद तनय तनय रामराज उम्र 59 वर्ष पेशा कृषि

2– मुद्रिका प्रसाद तनय श्री रामराज उम्र 53 वर्ष पेशा नौकरी

3– चन्द्रमणि प्रसाद तनय श्री रामराज उम्र 48 वर्ष पेशा कृषि

4– देवराज तनय श्री नर्वदा प्रसाद उम्र 87 वर्ष पेशा सेवा निवृत्ति

5– चिन्तामणि तनय प्रहलाद प्रसाद उम्र 62 वर्ष पेशा कृषि

सभी निवासी गण ग्राम गुढ थाना व तह0 गुढ जिला रीवा म0प्र0

—— आवेदक /निगरानीकर्तागण

बनाम

विनोद कुमार तिवारी तनय श्री नत्थूराम तिवारी निवासी रिमारी तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 —— अनावेदक /गैर निगरानीकर्ता

निगरानी

विरूद्व आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल दुआरी तह0 गुढ जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण कमांक 48/अ12/13–14 निर्णय व आदेश दिनांक 07–07–14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0स0ंस 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 07–07–14 विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

2– यह कि अनावेदक / गैर निगराकार द्वारा ग्राम पहाउ तह0 गुढ जिला रीवा म0प्र0 की आराजी भूमि खसरा क0 82/3, 86/1, 136/3, 137/3, 138/1 रकवा कमशः 0.166, 0.267, 0.539, 0.036 ,0.218, 0.016 कुल 6 किता का सीमांकन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जिसका सीमांकन

चन्द्रिका प्रसाद मुद्रिका प्रसाद चन्द्रमणि प्रसाद देवराज प्रसाद चिन्तामणि

139

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0--**998-III** / 2015 जिला–रीवा

चन्द्रिका प्रसाद वगैरः / विनोद कुमार तिवारी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लवकुश प्रसाद द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल दुआरी, तहसील गुढ़ के प्रकरण क्रमांक 48 / अ–12 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	